

(5)




(1)

ब्यायालय : माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. गवालिंगर (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक-

८००८ निगरानी - ५८३४/२०१८/मुरैना (म.प्र.)



संघीय सहायतेवाला राजस्व
कार्यालय
दिनांक २४/७/१८

प्रकारण क्रमांक ४४८
दिनांक ०१/८/१८

१- हरिओम पुत्र श्री रामबाबू

२- रजनीश पुत्र सुरेशचन्द्र

समस्त जाति- तमोली (यादव)

श्री गालीव कडवंशी कालिस्मस्त निवासी- वार्ड क्रमांक- ८, सबलगढ़,
द्वारा आज दिनांक २४/७/१८ प्रस्तुत। प्रारम्भिक तरफ हेतु
दिनांक ५/८/१८ नियत।

.....निगरानीकर्तागण

बनाम

म.प्र. शासन द्वारा तहसीलदार, सबलगढ़,
जिला मुरैना (म.प्र.)

..... प्रत्यर्थी

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राज्य संहिता 1959 विळङ्घ
आदेश दिनांक 07.08.2018 जो ब्यायालय आयुक्त, चम्बल सम्भाग,
मुरैना (म.प्र.) (डॉ. एम.के. अव्याल) द्वारा प्रकरण क्रमांक-
०१०२/अपील/२०१६-२०१७ वडवान मांगीलाल आदि बनाम म.प्र.
द्वारा न में पारित कियाग या, को अपास्त किए जाने बावत।

श्रीमान् महोदय,

निगरानीकर्तागण की ओर से निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य -

१:- यहकि, भूमि सर्वे क्रमांक- ४४८ रकवा ४.७५ आरे, स्थित कस्बा
सबलगढ़, मुरैना के १.२०आरे भूमि पर निगरानीकर्तागण का
विधिवत् आधिपत्य होकर विगत कई वर्षों से कृषि कार्य करते चले
आ रहे हैं तथा विधिवत् रूप से शासन को प्रतिवर्ष लगान अदा
करते रहे हैं। उक्त कृषि भूमि श्री मुरली मनोहर एवम् महादेव
मन्दिर से लगी भूमि होकर समवत् २००१ में तत्कालीन मन्दिर
माफीदारान भास्कर राव मुव्हशी राजे द्वारा उक्त कृषि भूमि पर कृषि
कार्य करने हेतु निगरानीकर्तागण के पूर्वजों को १८७ रुपए ५०
पैसे लगान पर पट्टे पर दी गई थी। इस प्रकार निगरानीकर्तागण

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - गवालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-5838/2018/मुरैना/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05/12/2018	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री राजीव रघुवंशी उपस्थित। उन्हें ग्राहयता के बिन्दु पर सुना गया। आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का अवलोकन किया एवं आलोच्य आदेश का परिशीलन किया। प्रकरण को देखने से स्पष्ट होता है कि अनुविभागीय अधिकारी ने इस आधार पर अपील निरस्त की है कि पट्टे संहिता के प्रावधान के अनुसार सही नहीं हैं। प्रश्नाधीन भूमि मंदिर मुरली मनोहरजी महादेवजी मंदिर प्रबंधक कलेक्टर मुरैना भूमिस्वामी माफी देवस्थान की भूमि है एवं माफी औकाफ की भूमि पर किसी भी प्रकार के अतिक्रमण को वैद्यता एवं पट्टा प्रदान नहीं किया जा सकता है। अनुविभागीय अधिकारी के उक्त तथ्य की पुष्टि अपर आयुक्त ने अपने आदेश में की है। तथा तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती होकर स्थिर रखे जाने योग्य है, जिनमें हस्तक्षेप किए जाने का प्रथम दृष्टया कोई आधार प्रतीत नहीं होता है। दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी निरस्त की जाती है।</p>  <p style="text-align: right;">प्रशासकीय सदस्य</p>	